न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 95 / 2024

काहन सिंह पुत्र श्री गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

–– प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

–– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री संजय जनवेजा	–– प्रार्थी
2.	पैरोकार राज	–– अप्रार्थी 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–27.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता श्री गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री वन्ता सिंह जाति जटसिख सा० देह खातेदार के नाम वाके चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 20/8 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 5, 8, 16, 32, 48, 61 की 17. 062 है0 नहरी बारानी मय खाला भूमि में से 2.365 है0 में से 1/2 हिस्सा यानि 1.182 है० कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल थी । प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि जरिये उपहार पत्र प्रार्थी के नाम से अन्तरित कर दी। जिसका इन्तकाल संख्या 653 दिनांक 23.06.2015 प्रार्थी के नाम से दर्ज हो गया तथा राजस्व रिकार्ड व तत्कालीन जमाबंदी में उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज हो गया। नकल जमाबन्दी, नकल इन्तकाल व उपहार पत्र की फोटो प्रति संलग्न है। जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम दर्ज था, जिसके आधार पर प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर एस बी आई बैंक शाखा जेसीटी मिल्स से केसीसी ऋण प्राप्त किया तथा प्रार्थी का रकबा जरिये इन्तकाल संख्या 661 बैंक के पक्ष में रहन दर्ज हुआ। जमाबन्दी में सेग्रीगेशन के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में लापरवाही से लिपिकीय त्रुटि करते हुए पुनः उक्त रकबा प्रार्थी के पिता श्री गुरजण्ट सिंह पुत्र श्री वन्ता सिंह के नाम से कर दिया। जबकि राजस्व कर्मचारियों को पूरी सावधानी के साथ जैसी पुरानी जमाबन्दी थी, वैसी हूबहू नई जमाबन्दी बनानी चाहिए थी। मगर उनकी लापरवाही इन्तकाल संख्या 653 व 661 का इन्द्राज नई जमाबन्दी में नहीं हुआ। रकबा पुनः मृतक श्री गुरजण्ट सिंह के नाम दर्ज हो गया तथा राजस्व रिकार्ड को आदिनांक करने के लिए जरिये इन्तकाल संख्या 833 दिनांक 20.02 2020 मृतक गुरजण्ट सिंह का नाम हटाकर उक्त रकबा वारिसान काहन सिंह, हरदीप सिंह पुत्रान श्री गुरजण्ट सिंह, गुरदेव कौर पत्नी श्री गुरजण्ट सिंह, गुरविन्द्र कौर, सुखपाल कौर पुत्रियान श्री गुरजण्ट सिंह के नाम से दर्ज हो गया, जो कि वर्तमान जमाबन्दी चक 3 सी छोटी तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/20 में रकबा उक्तानुसार उक्त व्यक्तियों के नाम से चला आ रहा है। इस प्रकार गुरजण्ट सिंह का नाम क्लेरिकल मिस्टेक से दर्ज होने के

Scanned with CamScanner

कारण इन्तकाल संख्या 833 दिनांक 20.02.2020 प्रारम्भतः शून्य इन्तकाल है। जिसकी दुरुस्ती की जानी अनिवार्य है। प्रार्थी द्वारा भूमिधारी/तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, मगर उन्होने कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन है कि वर्तमान जमाबन्दी चक 3 सी छोटी तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/20 में से गलत रूप से दर्ज नाम काहन सिंह, हरदीप सिंह पुत्रान श्री गुरजण्ट सिंह, गुरदेव कौर पत्नी श्री गुरजण्ट सिंह, गुरविन्द्र कौर, सुखपाल कौर पुत्रियान श्री गुरजण्ट सिंह को हटाया जाकर उक्त रकबा पुरानी जमाबन्दी अनुसार अकेले काहन सिंह पुत्र श्री गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 4994 दिनांक 02.09.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्तमान जमाबंदी चक 3सी छोटी तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 15/20 में से गलत रूप से दर्ज नाम काहन सिंह, हरदीप सिंह पुत्रान श्री गुरजंट सिंह, गुरदेव कौर पत्नी श्री गुरजण्ट सिंह, गुरविन्द्र कौर, सुखपाल कौर पुत्रियान श्री गुरजण्ट सिंह को हटाया जाकर उक्त रकबा पुरानी जामाबंदी अनुसार अकेले काहन सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जट सिख निवासी 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (प्रशासन) श्रीगंगानगर के कार्यालय के कमांक 923 दिनांक 30.03.2017 से ई0सं0 652 निरस्त किया गया। वर्तमान में जमाबंदी के खाता संख्या 15 में तत्कालिन पटवारी द्वारा गुरजंट सिंह पुत्र बंता सिंह का विरासतन ई0 सं0 833/20.02.2020 रकबा 1.182 हैक्टर भूमि वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर